न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 49/2017 (प्रार्थना पत्र)

श्री कन्हैयालाल पिता वेसा गमार निवासी पानरवा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

श्री बाबू पिता काना गरासिया (भील) निवासी डोलरिया पोस्ट–अमीवाड़ा तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 27–07–2017 प्रकरण संख्या 10/2009

———

उपस्थित :–1– श्री रमेश नन्दवाना अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———/———

आदेश **दिनांक 23–07–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डवा की आराजी संख्या 64 रकबा .48 हैक्टर भूमि का आवंटन विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट को दिनांक 16–12–2005 को किया गया। रिपोर्ट में आवंटी के भूमिहीन नहीं होने के तथ्य वर्णित नहीं है, विपक्षी उस गांव का रहने वाला भी नहीं है, उद्घोषणा नहीं हुई है तथा बिना कोरम के भूमि आवंटन की गई है, जबकि भूमि पर 35 वर्षो से प्रार्थी काबिज है।

उपरोक्त आवंटन के खण्डन का जवाब विपक्षी बाबू ने देते हुए निवेदन किया कि आवंटन विधिवत किया गया है, कब्जा प्रार्थी का नहीं

होकर विपक्षी का ही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 27–7–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर विपक्षी को किये गये आवंटन को बहाल रखा।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27–7–2017 से रूष्ट होकर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–9–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र चौबीसा ने उपस्थित दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन खारिज करने का त्रुटिपूर्ण आधार यह लिया है कि भूमियां खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। आवंटन की उद्घोषणा नहीं होने तथा आवेदक के अन्य ग्राम के होने व प्रार्थी के कब्जे काश्त बाबत् कोई विवेचन नहीं किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर है कि रेस्पोन्डेन्ट अन्य ग्राम का निवासी है। उस पर कोई विवेचन नहीं किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा तलबिदा मौका रिपोट्र में पटवारी ने यह रिपोर्ट की है कि बाबू, काना को आवंटित भूमि में कन्हैयालाल अपीलान्ट ने 20 वर्ष पुराने 2 कमरे बना रखे है। तद्नुसार सुस्पष्ट रूप से 20 वर्षो से अपीलान्ट का कब्जा होना स्पष्ट है। जबकि आवंटन वर्ष 2005 में हुआ है। तद्नुसार भूमि अनधिवासित होना स्पष्ट नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में खातेदारी मिल जाना अवगत कराया है। जबकि पटवारी द्वारा भेजी गई

रिपोर्ट के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 (नकल दिनांक 22–6–2014) तथा नपकल दिनांक 28–4–2017 अनुसार आवंटित भूमियां आराजी नंबर 584/64 अभी भी गैर–खातेदारी में दर्ज है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के उजरात पर न तो सम्यक विवेचन किया है, न ही साक्ष्यों का विश्लेषण, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक 27–7–2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर अजसरे नव–निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24–9–2018 को उपस्थिति होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर